न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और एम.एम. एस. बेदी के समक्ष

जगदीश परशाद, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश,
यमुनानगर, — *उत्तरदाता*

C.W.P. सं. 18540 सन् 2003

20 जुलाई, 2006

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I — नि. 3.26 (डी) और (ई) — पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II — Rl. 5.32-ए — वर्ग IV के कर्मचारी की 55 वर्ष की आयु होने पर नि. 3.26 (डी) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति — क्या वर्ग IV के कर्मचारी की 55 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु होने से पहले उसे निवृत्ति नहीं दी जा सकती और नि. 3.26 (डी) वर्ग IV के कर्मचारी के सदस्यों पर लागू नहीं किए जा सकते - नियम 5.32 A के तहत सरकार के पास किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने की शक्ति है अगर उसने 25 वर्ष की सेवा योग्यता पेंशन के लिए पूरी कर ली है — याचिकाकर्ता ने योग्यता सेवा के 33 वर्ष पूरे किए —वृद्धावस्था और बीमार स्वास्थ्य के कारण कोई भी काम करने में असमर्थ याचिकाकर्ता —याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के आदेश में अवैधता नहीं — याचिका खारिज ।

अभिनिर्णित, कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II, के नियम 5.32 में संलग्न नोट-I में सरकार को किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का निरपेक्ष अधिकार है अगर उसने पेंशन के लिए योग्यता सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं यदि वह पेंशनभोगी पद धारण करता है या अगर वह गैर-पेंशन पद धारण करता है तो उसने सामान्य अवधि पूरी कर ली परंतु वह अंशदायी भविष्य निधि के लाभ का हकदार है। नोट के अनुसार, किसी भी कारण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उस खाते पर विशेष मुआवजे के दावे को ध्यान में लेना चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सर्वोपरि विचार है जनता की सेवा जिस से अक्षम, बेईमान और भ्रष्ट आदि को बाहर निकालना है। उपर्युक्त नियम विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है और वर्ग I से IV तक समान रूप से लागू होता हैं।

(पैरा 7)

आगे अभिनिर्णित, कि याचिकाकर्ता को पेंशनभोगी सेवा में 25 वर्ष पूर्ण हो चुके है क्योंकि वह 1 सितंबर, 1970 को नियुक्त हुआ था और 4 नवंबर, 2004 को

आदेशानुसार सेवानिवृत्त हो गया था — यह स्पष्ट है कि उन्होंने 33 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। विवादित आदेश सार्वजनिक हित में है क्योंकि याचिकाकर्ता को निर्जीव काठ प्रदान किया गया है जैसे कि वह अक्षम है और वृद्धावस्था और बीमार स्वास्थ्य के कारण कोई काम करने में असमर्थ है। उनके एसीआर में यह टिप्पणी की गई है कि उन्हें बिना कोई काम किए वेतन मिल रहा है। नियमों की आवश्यकता पूरी हो गई है, जिसका उद्देश्य अक्षम, बेईमान और भ्रष्ट आदि को बाहर निकालना है। अंतः, विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं है, जो अनुमोदित करने योग्य है।

(पैरा 8)

हरि ओम शर्मा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

हरीश राथे, सीनियर. डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार

(1) यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगधरी में यमुननगर, द्वारा याचिकाकर्ता की 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के आदेश दिनांक 4 नवंबर, 2003 (पी -5) को पारित करने पर आपत्ति कर रहा है। याचिकाकर्ता एक वाटरमैन है और कर्मचारी वर्ग-IV की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

(2) पूरे विवाद का सही परिप्रेक्ष्य सामने लाने के लिए संक्षिप्त तथ्य बताने आवश्यक हैं। याचिकाकर्ता को 1 सितंबर, 1970 को शुरुआत में वाटरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था और सेवा रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्म तिथि है 4 अप्रैल, 1949 है। 7 जून, 2003 को उनकी पुष्टि की गई और 4 नवंबर, 2003 को आदेश के अनुसार सेवा से वाटरमैन के रूप में सेवानिवृत्त हो गया। अनिवार्य रूप से उसे सेवानिवृत्त करने से पहले, 28 अक्टूबर, 2003 को एक सूचना जारी किया गया था , जिसका विधिवत उत्तर उसके द्वारा 3 नवंबर, 2003 को दिया गया था। उनके जवाब पर विचार करने के बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का विवादित आदेश पारित किया, जिसके तहत यह है: —

"कृपया अपने कार्यालय के अंतिम नंबर 808, दिनांक 3 नवंबर 2003, को देखें, ऊपर उद्धृत विषय पर।

अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कारण हेतुक दर्शित सूचना का दिया गया उत्तर विचार में लिए गया है। अधिकारी को पीठासीन अधिकारियों द्वारा धीमी गाड़ी और सुस्त घोषित किया गया है। विभाग में उसकी उपयोगिता पर भी विचार किया गया है। विभाग में उसकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए, सरकारी सेवा में उसे 55 वर्ष की आयु से अधिक रखना विवेकपूर्ण नहीं है। इस प्रकार, यह तय किया गया है कि वह 4 नवंबर, 2003 (A.N.) की तिथि से सरकारी सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होंगे।

संबंधित अधिकारी को तदनुसार सूचित किया जाता है और आगे उनकी पेंशन लाभ, यदि कोई हो, जल्द से जल्द सरकार से रिहा करने में आवश्यक कार्रवाई की जाए। "."

(3) श्री हरि ओम शर्मा, विद्वक अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए, ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड- I, भाग- I (जैसे हरियाणा पर लागू) के नियम 3.26 (डी) को लागू करके सेवानिवृत्त किया गया है, जो वास्तव में वर्ग- IV श्रेणी के किसी भी सदस्य पर लागू नहीं होता। विद्वक अधिवक्ता के अनुसार, नियम 3.26 के उप-नियम (ए) का परंतुक स्पष्ट रूप से वर्ग-IV कर्मचारी के लिए 60 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है और वर्ग-IV कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व निवृत्त नहीं हो सकता है।

(4) हालांकि, श्री हरीश राथे, विद्वक राज्य अधिवक्ता, ने बताया कि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड इस तथ्य की पर्याप्त गवाही देता है कि याचिकाकर्ता निर्जीव काठ बन गया है और एक अक्षम कार्यकर्ता है। उन्होंने एसीआर वर्ष 2001 (R-1) के अर्क पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसमे यह दर्ज किया गया है कि वह बीमार स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के कारण कोई काम नहीं कर पाया है। आगे यह टिप्पणी की गई कि वह 'किसी काम का साथी नहीं है'। इसी तरह, वर्ष 2002 में प्रतिकूल टिप्पणी अनुलग्नक R-2 के रूप में दर्ज की गई है जो रिकॉर्ड पर पेश की गई है। विद्वक राज्य अधिवक्ता ने तब तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया यह बताते हुए कि समय से पहले निवृत्त होने की इच्छा व्यक्त करने पर उनके वेतन से जीपीएफ नहीं काटा जा सकता है समय से पहले।

(5) हमने दोनों पक्षों के लिए विद्वक अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्क पर गहन विचार किया है और हमारा यह मानना है कि विवादित आदेश दिनांक 4 नवंबर, 2003 (P-5) में कोई भी अवैधता नहीं है जिस में हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। पूरे विवाद को समझने के लिए पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड- I, भाग- I के नियम 3.26 (डी) और (ई) के प्रावधान एवं पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड- II (जैसे हरियाणा पर लागू) के नियम 5.32-ए के प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा और

वह इस प्रकार पढ़े जा सकते है: —

"3.26 xxx x x x x x x x x x

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी, यदि यह राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है, वर्ग IV सरकारी कर्मचारी के अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है, उसे कम से कम तीन महीने में लिखित सूचना या इस तरह के सूचना के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर: —

(i) यदि वह वर्ग I या वर्ग II सेवा या पद पर है या था और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सरकारी सेवा में दर्ज किया गया था; तथा

(ii) (क) यदि वह तृतीय श्रेणी की सेवा या पद पर है, या

(ख) यदि वह वर्ग I या वर्ग II की सेवा या पद पर है और पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सरकारी सेवा में दर्ज किया गया है; पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद।

सरकारी कर्मचारी तुरंत सेवानिवृत्त हो जाएगा जब सूचना के बदले तीन महीने के वेतन और भत्ते का भुगतान होगा और उसके उपरांत सेवा में नहीं होगी।

(ड.) एक सरकारी कर्मचारी, वर्ग IV सरकारी कर्मचारी के अलावा, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित सूचना, तीन महीने से कम नहीं, देकर सेवा से निवृत्त हो सकता है: -

(i)यदि वह वर्ग I या वर्ग II सेवा या पद पर है या था और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सरकारी सेवा में दर्ज किया गया था; तथा

(ii) (क) यदि वह तृतीय श्रेणी की सेवा या पद पर है, या

(ख) यदि वह वर्ग I या वर्ग II की सेवा या पद पर है और पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सरकारी सेवा में दर्ज किया गया है; पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद:

परंतु कि इस खंड के तहत सेवानिवृत्त चाहने वाले निलंबित सरकारी कर्मचारी को दी अनुमति को वापस लेना नियुक्ति प्राधिकारी के लिए खुला होगा।"

xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

"5.32-ए. सेवानिवृत्त पेंशन देने का नियम इस प्रकार है: —

(क) सरकारी कर्मचारी अपने त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर कम से कम 30 वर्ष की योग्यता सेवा पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त पेंशन का हकदार है परंतु एक सक्षम प्राधिकारी विशेष मामलों में पेंशन की अनुमति दे सकता है जहां कम से कम 25 वर्ष की योग्यता सेवा प्रदान की जाती है।

(ख) सरकार कर्मचारी जिसे सरकार द्वारा 25 वर्ष या अधिक की योग्यता सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता होती है और जिसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, को सेवानिवृत्त पेंशन भी दी जाती है।

नोट 1. — सरकार कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण की है जो पेंशन के लिए योग्य है अगर वह पेंशनभोगी पद है या अगर वह गैर-पेंशन पद धारण करता है तो उसने सामान्य अवधि पूरी कर ली परंतु वह अंशदायी भविष्य निधि के लाभ का हकदार है, को बिना किसी कारण के सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार रखती है और न ही उस खाते पर विशेष मुआवजे के दावे को ध्यान दिया जाएगा। *इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक की अक्षमता, बेईमानी, भ्रष्टाचार या बदनाम आचरण के कारण जनहित में सरकारी कर्मचारी की आगे की सेवाए अभिमुक्त करनी हो। इस नियम का यह खंड (ख) उपयोग के लिए अभिप्रेत है-*

(i) सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जिसकी कार्यक्षमता क्षीण है परंतु जिसके विरुद्ध औपचारिक आरोप वांछित नहीं है या जो पूर्ण रूप से कुशल नहीं रहा (जैसे की जब सरकारी करमचारियो का मूल्य उनकी आय, जिसका वह भुगदान करता है, से अनुपातहीन हो) लेकिन इस हद तक नहीं कि

दयालु आधार पर अपनी सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करले। का वारंट हो यह नहीं है के इस नोट के प्रावधानों का उपयोग करने का इरादा वित्तीय हथियार, यह कहना है, प्रावधान होना चाहिए केवल सरकारी कर्मचारियों के मामले में उपयोग किया जाता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिधारण के लिए अयोग्य माना जाता है वित्तीय आधार के विपरीत; तथा

(ii) उन मामलों में जहां प्रतिष्ठा भ्रष्टाचार, बेईमानी या बदनाम आचरण से स्पष्ट रूप से स्थापित है हालांकि इनकी दण्ड और अपील नियम, इन नियमों के खंड I, भाग II के परिशिष्ट 24 या लोक सेवा (जाँच) अधिनियम, 1850 (XXXVII) 1850 के तहत किसी विशिष्ट उदाहरण द्वारा साबित होने की संभावना नहीं है।

इस नोट में प्रयुक्त "सरकार" शब्द की व्याख्या की जानी चाहिए कि वह प्राधिकरण जिसके पास सरकारी कर्मचारी को सिविल सेवा (दण्ड और अपील) नियम के तहत निष्कासन की शक्ति है।

नोट 2.— सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध इस नियम के खंड (ख) के तहत प्रस्तावित कार्यवाही के खिलाफ कारण हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। हालाकि, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति बिना सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। राज्य सेवाओं के राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सभी मामलों में, लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में विभागों के प्रमुख द्वारा सेवानिवृत्ति को प्रभावित करने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

नोट 3. — सरकारी कर्मचारी जिसने इस नियम के तहत निवृत्त होना चुना है और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक सूचना दी है, नियुक्ति की सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के बिना, बाद में अपना चुनाव वापस लेने से रोका जाएगा; बशर्ते वापसी के लिए उनका अनुरोध अपनी सेवानिवृत्ति की इच्छित तिथि के भीतर किया गया हो।

(c) वर्ग IV सरकार के के अलावा, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त पेंशन भी दी जाती, —

(1) जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त है उसे कम से कम तीन महीने पहले लिखित सूचना देनी चाहिए, —

(i) यदि वह वर्ग I या वर्ग II सेवा या पद पर है और पैंतीस वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले, पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सरकारी सेवा प्रवेश किया हो; तथा

(ii) (ए) यदि वह वर्ग III सेवा या पद में है; या

(बी) यदि वह वर्ग I या वर्ग II सेवा या पद में है या पोस्ट और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करना के पश्चात, पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद; सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो।

(2) जो यदि श्रेणी (1) से कोई पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होते है, या यदि श्रेणी (1) (ii) से कोई पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर/ के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी को सेवानिवृत्त होने का अपना इरादा कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं :

बशर्ते कि सूचना पचास वर्ष या पचपन वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले दी गई हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर तिथि पचास वर्ष की आयु, या पचपन वर्ष की आयु, जैसे भी मामला हो, प्राप्त होने से पहले प्रभावी नहीं होगा।

नोट — नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी उपरोक्त सरकारी कर्मचारी, जिसने पचास वर्ष, या पचपन वर्ष की आयु प्राप्त की है, जैसा भी मामला हो, को बिना किसी कारण दिये सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है। सरकारी कर्मचारी के पास पचास वर्ष या पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद, जैसा भी मामला हो, सेवानिवृत्त होने का संगत अधिकार भी है।"

(6) दोनों नियमों के सह-संयुक्त पढ़ने से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट वर्ष की सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त करने के विभिन्न प्रावधान है। नियम 3.26 सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु को दर्शाता है, जो वर्ग- IV कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष है। नियम 3.26 का उप-नियम (डी) (i) वर्ग- I और II सेवा या पद के संबंध में एक स्थिति से संबंधित है। 50 वर्ष की आयु में, समय से पहले सेवानिवृत्ति की शक्ति का उस कर्मचारी के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है जिसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में प्रवेश किया था। हालांकि, 55 वर्ष की आयु में समय से पहले सेवानिवृत्ति की शक्ति का प्रयोग वर्ग -III सेवा या पद कर्मचारियों या वर्ग- I या वर्ग- II सेवा या पद के सदस्यों के संबंध में, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में प्रवेश हो, द्वारा किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नियम 3.26 के उप-नियम (डी) और (ई) दोनों में से किसी पक्ष द्वारा तीन महीने की सूचना देने की पारस्परिकता से संबंधित है ओर वर्ग-IV के कर्मचारी, जैसे की याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होते।

(7) हालाँकि, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II, के नियम 5.32 में संलग्न नोट-I में सरकार को किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का निरपेक्ष अधिकार है अगर उसने पेंशन के लिए योग्यता सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं यदि वह पेंशनभोगी पद धारण करता है या अगर वह गैर-पेंशन पद धारण करता है तो उसने सामान्य अवधि पूरी कर ली परंतु वह अंशदायी भविष्य निधि के लाभ का हकदार है। नोट के अनुसार, किसी भी कारण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उस खाते पर विशेष मुआवजे के दावे को ध्यान में लेना चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सर्वोपरि विचार है जनता की सेवा जिस से अक्षम, बेईमान और भ्रष्ट आदि को बाहर निकालना है। उपर्युक्त नियम विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है और वर्ग I से IV तक समान रूप से लागू होता हैं।

यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों को 5.32-ए नियम के प्रकाश में देखते हैं तो यह यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता को पेंशनभोगी सेवा में 25 वर्ष पूर्ण हो चुके है क्योंकि वह 1 सितंबर, 1970 को नियुक्त हुआ था और 4 नवंबर, 2004 को आदेशानुसार सेवानिवृत्त हो गया था। यह स्पष्ट है कि उन्होंने 33 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। विवादित आदेश सार्वजनिक हित में है क्योंकि याचिकाकर्ता को निर्जीव काठ प्रदान किया गया है जैसे कि वह अक्षम है और वृद्धावस्था और बीमार स्वास्थ्य के कारण कोई काम करने में असमर्थ है। उनके एसीआर में यह टिप्पणी की गई है कि उन्हें बिना कोई काम किए वेतन मिल रहा है। नियमों की आवश्यकता पूरी हो गई है, जिसका उद्देश्य अक्षम, बेईमान और भ्रष्ट आदि को बाहर निकालना है। अंतः, विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं है, जो अनुमोदित करने योग्य है।

(9) विद्वक अधिवक्ता का तर्क है कि नियमों का नियम 3.26 (डी) याचिकाकर्ता के मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि वह वर्ग-IV (श्रेणी `डी') कर्मचारी है को स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में आयोजित किया गया है। हालांकि, यह याचिकाकर्ता के बचाव के लिए नहीं आता है क्योंकि नियमों के नियम 5.32-ए में संलग्न नोट -1 याचिकाकर्ता के मामले पर पूरी तरह से लागू होता हैं। नोट -1 में उपर्युक्त सिद्धांत शक्ति के प्रयोग को विशेष वर्ग के कर्मचारियों तक सीमित नहीं करता है। इसलिए, हमें उठाए गए तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

(10) उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के लिए, यह याचिका विफल है और खारिज की जा रही है।

R.N.R.

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रुहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा